

न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. दिनेश राय सापेला, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 02/2023

Gems reg. No. 2023/13

प्रार्थी :-

पुलिस अधीक्षक,
बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम श्री गोविन्द उर्फ गट्टु पिता दितिया निवासी भीमसौर थाना
गढी जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक 23-10-2023

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा द्वारा गैर सायल श्री गोविन्द उर्फ गट्टु पिता दितिया निवासी भीमसौर थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.) के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-

1. प्रथम सूचना क्रमांक 7/2011 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री गोविन्द उर्फ गट्टु के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2019 से सजा हुई।

2. प्रथम सूचना क्रमांक 174/2019 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री गोविन्द उर्फ गट्टु के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2019 से सजा हुई।

3. प्रथम सूचना क्रमांक 130/2018 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गढी में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री गोविन्द उर्फ गट्टु के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.2020 से सजा हुई।

4. इस प्रकार गैरसायल श्री गोविन्द उर्फ गट्टु पिता दितिया निवासी भीमसौर थाना गढी जिला बांसवाड़ा (राज.) जो अवैध महुवा शराब का चोरी छुपे धंधा करने पर आबकारी अधिनियम के तहत पर कुल 3 प्रकरण दर्ज होकर 3 प्रकरणों में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है।

4. जिसके उपरान्त भी गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।

3- इस्तागासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

4- दिनांक 20.03.2023 को गैर सायल ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि पूर्व में धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के मामले जो कि न्यायालय द्वारा फैसल हो चुके हैं उनकी नकले थाना गढी जिला बांसवाडा में जमा नहीं करवाई है। जिस कारण पुलिस थाना गढी द्वारा पूर्व में फैसल हुए प्रकरणों को विचाराधीन मानकर बताया है। वर्तमान में मैं शान्तिपूर्ण तरिके से कृषि कार्य कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ व वर्तमान में किसी भी आपराधिक व अनैतिक कार्य में संलिप्त नहीं हूँ। मेरे विरुद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही निरस्त फरमावे।


5- पेशी दिनांक 08.08.2023 को अभियुक्त अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। दिनांक 12.09.2023 को अभियुक्त ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में अंकित अपराध को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाने निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत बहस में कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल अवैध महुवा शराब का व्यवसाय करने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 3 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः प्रकरण में किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरुद्ध अवैध शराब रखने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 3 प्रकरण दर्ज होकर 3 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं है। गैर सायल स्वयं द्वारा भी प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य एवं स्वीकरोक्ति से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है। प्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल श्री गोविन्द उर्फ गट्टु पिता दितिया निवासी भीमसौर थाना गढी जिला बांसवाडा (राज.) को तहसील क्षेत्र गढी जिला बांसवाडा से 40 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त अवधि में तहसील क्षेत्र गढी में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैर सायल जिस क्षेत्र में निवास करे, उस क्षेत्र के थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा को भेजी जावे। यह आदेश आज दिनांक से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण जिला बांसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

निर्णय आज दिनांक 23-10-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. कलेक्टर एवं अति. मजिस्ट्रेट, सजिस्ट्रेट,
बांसवाडा (राज.)